# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.नं. 16/2021

प्रार्थीगण

1. चम्पादेवी पत्नी डायाराम जाति पुरोहित निवासी मांगला तहसील समदडी जिला बाडमेर
2. तेजसिंह पुत्र डायाराम जाति पुरोहित निवासी मांगला तहसील समदडी जिला बाडमेर
3. दुदसिंह पुत्र डायाराम जाति पुरोहित निवासी मांगला तहसील समदडी जिला बाडमेर
4. बुद्वसिंह पुत्र डायाराम जाति पुरोहित निवासी मांगला तहसील समदडी जिला बाडमेर
5. भेरसिंह पुत्र डायाराम जाति पुरोहित निवासी मांगला तहसील समदडी जिला बाडमेर

**बनाम**

विप्रार्थीगण

1. गुणेशाराम पुत्र चिमनाराम जाति कलवी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदडी
2. स्व. गवरी पत्नी तुलछाराम के कायम मुकाम:–

2/1 चौथी पुत्री तुलछाराम पत्नी दुर्गाराम जाति कलवी चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी

2/2 गुलकी पुत्री तुलछाराम पत्नी चोपाराम जाति कलवी चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी

2/3 गेरकी पुत्री तुलछाराम पत्नी चौथाराम जाति कलवी चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी

3 जोगाराम पुत्र तुलछाराम जाति कलवी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदडी

4 देवाराम पुत्र चिमनाराम जाति कलवी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदडी

5. धनाराम पुत्र तुलछाराम जाति कलवी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: आदेश :–

दिनांक :– 05.04.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम टीकमपुरा पटवार क्षेत्र कुम्पावास तहसील समदडी में खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 5.0965 हैक्टयर आया हुआ है प्रार्थीगण के खेत के आवगमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के वदिशा दक्षिण में स्थित विप्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 240 सरहद टीकमपुरा की माठ माठ होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक [illegible] जाया जाता है प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग पीढियों से [illegible] रहे हैं। [illegible] र्थीगण द्वारा हर बार बरसात के मौसम में काश्त करने से रास्ता [illegible] है तथा विप्रार्थीगण [illegible] ने में झगड़ा करते हैं। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में वरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:20 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब मय आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि विप्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 240 की भूमि मे बदिशा पश्चिमी माठ के किनारे –किनारे प्रार्थीगण को रास्ते देने हेतु सहमत है जिस पर मुआवजे के तौर पर विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 240 की भूमि से लगते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत की भूमि खसरा संख्या 236 के बदिशा दक्षिण माठ के किनारे–किनारे की भूमि को प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के रूप में आने वाली भूमि के मुआवजे के तौर पर प्रार्थीगण विप्रार्थीगण को दी जावे।

भूमि धारक तहसीलदार समदडी से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार समदडी ने अपनी रिपोर्ट कमांक राजस्व/201/98 दिनांक 19.02.2021 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत सरहद मौजा टीकमपुरा पटवार मण्डल कुम्पवास खसरा नम्बर 236 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 240 के अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से मौजूद नहीं है। विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 240 में से उक्त रास्ते के रूप में कुल 0–15 बीघा भूमि उपयोग में आयेगी। जिसकी सरकारी डीएलसी 51604/–प्रति बीघा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत से कटान मार्ग तक पहुचने का अन्य कोई नजदीकी विकल्प नहीं है।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार समदडी की मौका रिर्पोट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार समदडी की रिर्पोट अनुसार प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीकी विकल्प है तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में भी उक्त रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। अतः तहसीलदार समदडी द्वारा खसरा नम्बर 240 में से प्रस्तावित 0–15 बीघा भूमि प्रार्थीगण को रास्ते के उपयोग में अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोट कमांक राजस्व/2021/98 दिनांक [illegible] के संलग्न मौका फर्द दिनांक 12.02.2021 में दर्शाए नक्शा [illegible] लाल मार्क [illegible] कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 236 ग्राम टीकमपुरा में आने–जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत सरहद मौजा टीकमपुरा के खेत खसरा नम्बर 240 में से 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई में भूमि रास्ते हेतु मौका फर्द में दर्शाया बरंग ''लाल'' अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत किया गया मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दर्शाया "बंरग लाल मार्क" को आदेश का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नही है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे की आदेश दिनांक को प्रचलित डीएलसी द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि तहसीलदार समदडी द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि कुल रकबे की क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी जो डीएलसी द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा के बराबर होगी। प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार समदडी द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार समदडी द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और भूमि राजस्व अभिलेख मे गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज होगी प्रार्थीगण को इस प्रकार से 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई भूमि को रास्ते के रूप में मौका फर्द दिनांक 12.02.2021 में दर्शाए नजरी नक्शा में "बरंग लाल मार्क" के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आर्जित नहीं होगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

रास्ते के रूप से समाविष्ट भूमि का रकबा सम्बन्धित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा मौका फर्द दिनांक 12.02.2021 में दर्शाया नक्शा में "बरंग लाल" आदेश का अभिन्न अंग होगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नजरी नक्शा अनुसार नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई मौजा टीकमपुरा पटवार मण्डल कुम्पावास के खेत खसरा संख्या 236 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत स्थित मौजा टीकमपुरा के खेत खसरा संख्या 240 मे से दिए जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में समाविष्ट होने वाली 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई में रास्ता की भूमि का प्रतिफल के रूप में विप्रार्थीगण को अदायगी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार समदडी उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाता में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2021/98 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा प्रेषित मौका फर्द इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार समदडी को तहरीर जारी हो।

( कुसुमलता चौहान )
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( कुसुमलता चौहान )
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:20 IST
Reason: SelfAttested